न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–6 / 17 प्रा0पत्र

अनवान

1–राकेश पुत्र जगदीश कुम्हार निवासी दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2–सीमा पुत्री जगदीश कुम्हार निवासी दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

3–नरेश पुत्र जगदीश कुम्हार ना0व्या0व0 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति कमला कुम्हार नि0 दहीमथा तहसील करेड़ा।

4–श्रीमति कमला पत्नि जगदीश कुम्हार निवासी दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

---विपक्षी।

उपस्थितः–

1–मुरलीधर जोशी — अधिवक्ता प्रार्थी

2–पेराकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–48 राज0का0अधिनियम

निर्णय दिनांक 19.4.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में दिनाक 29.09.2017 को प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–48 राज0 का0 अधिनियम विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र वाद जांच दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया। विपक्षी को हेतुक दर्शित करने हेतु सम्मन जारी किया गया। सम्मन विधिवत वाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब एवं मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया जाकर राज्यपक्ष की ओर से जवाब मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेश प्रस्तुत होने पर रेकार्ड पर लिये गये।

उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रकरण में उभपक्ष द्वारा बहस हेतु अवसर चाहे गये। न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये जाकर बहस हेतु दिनांक 16.04.2018 नियत की गई। नियत तिथी को उभयपक्ष उपस्थित आये। वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम दहीमथा पटवार मण्डल दहीमथा तहसील करेड़ा स्थित आ0नं0 769 रकबा 1.12 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की स्थित है। उक्त आराजी के पूर्व दिशा की तरफ रेकार्डेड रास्ते की आराजी स्थित है जिसके नंबर 770 है। प्रार्थीगण के आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ खेतो में आने–जाने का रास्ता है जो बड़डू–मरेवडा आम रोड जानी पहचानी जाती है। प्रार्थीगण आराजी के पूर्व दिशा की तरफ का रास्ता आराजी नं0 769 जो रास्ते के रूप में है परन्तु मौके पर रास्ता मौजूद नही है। आराजी नंबर 1002 से 769 तक के मध्य करीब 0.09 बीघा रास्ते की भूमि जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है इसी रास्ते की एवज में प्रार्थीगण द्वारा मरेवडा से बड़डू आम रोड से अपनी खातेदारी आराजी नंबर 769 की उत्तरी मेड से रास्ता आराजी नंबर 770 के 0.09 बीघा रास्ते की एवज में 0.09 बीघा भूमि रास्ते के रूप मे देने हेतु तैयार है। इस प्रकार प्रार्थीगण कृषि आराजी एव रास्ते की आराजी नंबर 770 जिनकी किस्म एक ही है तथा रास्ते की 09 बिस्वा पर जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है। मौके पर रास्ता विद्यमान नही होने से प्रार्थीगण रास्ते के बदले अपनी खातेदारी भूमि राज्य पक्ष को देने को तैयार है एव उक्तानुसार नंबर परिवर्तन का अनुतोष इस न्यायालय से चाहा जाकर भूमि विनिमय कर राजस्व नक्शें मे तरमीम चाही है।

Scanned by CamScanner

पेरोकार सरकार द्वारा बहस में हस्तक्षेप करते हुये न्यायालय से निवेदन किया गया कि खातेदार आराजी नंबर 770 गै0मु0 रास्ता की भूमि में से 0.09बीघा उसके खाते में दर्ज करवाना चाहता है तथा स्वयं के खाते की आराजी नंबर 769 कुल रकबा 1.12 बीघा के उत्तरी मेड की तरफ 0.09 बीघा भूमि रास्ते के लिये देना चाहता है। चूँकि आराजी नंबर 769 के दक्षिणी मेड पर देवगढ से भीलवाडा साडक दर्ज है जिससे लगायत आराजी नंबर 769 की उत्तरी मेड पर रास्ता देना चाहता है। चूँकि यह रास्ता सार्वजनिक होने से अन्य व्यक्तियों के हित मे भी प्रयुक्त होता है ऐसी स्थिति में 0.09 बीघा भूमि का प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार विनिमय किया जाना नियमों एवं सार्वजनिक हितों के विपरीत है। रास्ते पर प्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है जिसकी आड में अवैध कब्जे को विनिमय के रूप में परिवर्तित किया जाना अवैधानिक एवं सार्वजनिक हितो के विपरीत है। प्रकरण में प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 22.11.2017 के अनुसार अन्य व्यक्ति यथा कमला देवी कुम्हार, सीमा कुम्हार एवं सीमा जैन के भी हित प्रभावित होने की संभावना है जिन्हें प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, मौका पर्चा, नक्शा ट्रेश के साथ–साथ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाने से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि प्रार्थीगण इस न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड युक्त प्रस्तुत नहीं हुये है एवं तथ्यों को छुपाया गया है। राज्य सरकार के इस कथन से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है कि अवैध कब्जे की आड में भूमि विनिमय का मामला सिद्ध करने में प्रार्थीगण विफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर विरूद्ध विपक्षी खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी खारिज किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाने से प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में अंकित आराजी एवं उसकी एवज में चरण सं. 2 व 3 में अंकित विनिमय की आराजी संबंधी कोई अनुतोष देय नहीं है।

पत्रावली दर्ज से कम की जाकर फैसल शुमार हो।
निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
देवगढ

Scanned by CamScanner